



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा परमिट फॉर्म (भाग-2)

परमिट संख्या- 1165/BFS/10/12-13

राजा में,

श्री/श्रीमती गौतम रावत
निवासी 45 महात्मा गांधी मार्ग, आगरा

गहन सड़कमित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

- (क) कि वह अपने द्वारा निर्माण सुशंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविष्टानों के अनुरूप अर्ह स्वरूपरत इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
- (ख) निर्माण पर सुपरवीजन भी उन्हें वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (1) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्थायीक सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आसन्न किया जाए जायेगा। पर्यवेक्षण में वह बिना रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्वरूपरत इंजीनियर द्वारा संचालनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी नमस्त व्यवस्थाएं कारगर के जो डिजाइन अनुमोदित की गई हैं, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
- (2) भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियां सीमेंट, स्टील, स्टोनवॉल, ईट, कंक्रीट, प्लास्टर एवं गार्डर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जाएंगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य रघत पर ही उनके परीक्षण करने की शुक्ति उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इससे सत्य ही निर्माण सामग्रियों की निश्चित सत्यापन करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रासायनिक परीक्षण क्विबल प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परीणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्य का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- (3) निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही किया जायेगा। फॉट/अथॉरिटी द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समस्त-सत्य पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट सतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रोकवाते हुए निर्माण कार्य को अस्थायित्व मानते हुए रूक भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णतः प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा बरन निर्माणकर्ता व उनके सहायक क्रियान्वित स्थिति का परिशि में माने जायेंगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
- (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का, आर्कीटेक्ट, स्वरूपरत इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से सगे मुख्य कार्य से ही उसे स्पष्ट पता जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अनिवार्य भी उपलब्ध रहेंगा।
 - (1) निम्न प्रतिकारी द्वारा स्वीकृत मान्यपत्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - (2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मूला परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रमाणित नीप के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुति।
 - (3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नीप, सुखर स्ट्रक्चरल की गणनाएं एवं भवन का भूकम्परोधी बनाने हेतु संचालनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित नमस्त मान्यपत्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्स।
 - (4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नमस्त बर्निंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवं एलिवेशन टाउन सर्वेलेज डिटेल्स इत्यादि सामिल रहें।
 - (5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक नमस्त टीड एण्ड पीड का विवरण।
 - (6) साइट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।
 - (7) लागू परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।
- (ङ) मुख्य अभियान्तर अधिकारी तथा सी0डब्ल्यूई0, नगर निगम गजुल एवं अन्य विभागों के अत्यावृत्ति प्रभावचकों में से कोई शर्तों का पालन करना होगा।

संख्या-.....तददिनांक

भक्तिय
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
मुख्य प्रमुख अधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

प्रतिनिधि- 1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा की सुधलाप।

2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण के सुधलाप।

3. मुख्य अभियान्तर अधिकारी, आगरा की, इस आदेश में श्राव कि उनके द्वारा दिये गये अनुमोदित नमस्त के सम्बन्ध में आग्रह के प्राविधानों में सुनिश्चित कराये।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा